

प्रेषक,

आशीष तिवारी
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

✓मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
30 प्र०, लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक, 23 जनवरी 2018

विषय- भारत संचार निगम लि० द्वारा मुरादाबाद में मुरादाबाद-हरिद्वार मार्ग (एस०एच०-49) के किमी० 30.90 से किमी० 36.00 तक 5.1 किमी० लम्बाई में ओ०एफ०सी० डालने हेतु 0.153 हे० संरक्षित वन भूमि तथा बिजनौर में किमी० 36 से 62.60 (महाराणा प्रताप चौक) से दूरभाष केन्द्र धामपुर (दूरी 200 मी०) कुल 26.800 किमी० लम्बाई में 0.804 हे० संरक्षित वन भूमि कुल 0.957 हे० संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या-737/ओएफसी/समेकित/22790/2016, दिनांक 13-09-2017 का संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा-निर्देश संख्या- 11-9/98-एफसी, दिनांक 13-2-2014 के दृष्टिगत भारत संचार निगम लि० द्वारा मुरादाबाद में मुरादाबाद-हरिद्वार मार्ग (एस०एच०-49) के किमी० 30.90 से किमी० 36.00 तक 5.1 किमी० लम्बाई में ओ०एफ०सी० डालने हेतु 0.153 हे० संरक्षित वन भूमि तथा बिजनौर में किमी० 36 से 62.60 (महाराणा प्रताप चौक) से दूरभाष केन्द्र धामपुर (दूरी 200 मी०) कुल 26.800 किमी० लम्बाई में 0.804 हे० संरक्षित वन भूमि कुल 0.957 हे० संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की सामान्य स्वीकृति निम्न शर्तों /प्रतिबंधों पर प्रदान करते हैं-

- (1) सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।
- (2) ओ०एफ०सी० केबिल/टेलीफोन लाइन/मार्गों/सड़कों/वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे -किनारे ही बिछाये जायेंगे।
- (3) ओ०एफ०सी० केबिल/टेलीफोन लाइन हेतु खोदी गयी ट्रेन्च की साइज 1.65 मीटर गहरी एवं 0.45 मीटर चौड़ी से अधिक न होगी।
- (4) प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।
- (5) प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।
- (6) वनभूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।
- (7) प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।
- (8) भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् बना रहेगा।
- (9) कार्यदायी संस्था द्वारा प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी० तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराया

जायेगा।

- (10) प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
- (11) प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।
- (12) भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।
- (13) यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो माओ उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।
- (14) समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (15) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजिटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया। प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का
- (16) प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।
- (17) उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/माओ न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

2- यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रयोक्ता एजेन्सी के पास आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा इस कार्य के लिए उन्हें सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त हो।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)

विशेष सचिव।

संख्या-पी-118/14-2-2017-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- (1)- मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ।
- (2)- वन संरक्षक, मुरादाबाद ।
- (3)- जिलाधिकारी, विजनौर व मुरादाबाद।
- (4)- प्रभागीय निदेशक विजनौर व मुरादाबाद ।
- (5)- श्री जयराम सिंह डिवीजनल मैनेजर इंजीनियर टेलीकाम प्रोजेक्ट बीओएसओएलओमुरादाबाद।
- (6) निजी सचिव प्रमुख सचिव वन एवं वन्य जीव विभाग 30प्र0शासन।
- (7)- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)

अनु सचिव।